न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 109/2020 तारीख रजू 14.10.2020

गोपाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी खण्डेवला तह.खण्डार। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ————— रेस्पो0

निर्णय दिनांक 19/02/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 48/2020 मे पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नम्बर 460/8 रकवा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर एक पक्षीय निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है जो कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 460/8 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है,पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व बिना मौके की सही जॉच किये अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जो मौका स्थिति के विपरीत है। यह है कि अदालत मातहत द्वारा मौका स्थिति बाबत बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बयान पर विश्वास कर अपीलान्ट को सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया है जो जो किसी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। यह है कि अपीलान्ट अपने स्वामित्व की जमीन पर ही अपने बुजुर्ग के समय से बनी सीमा के अन्दर–अन्दर ही काबिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested

है। यह है कि अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध मे कोई साक्ष्य सबूत शामिल नहीं है जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी में माना जावें। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट को स्वंय को तामील करवायी गयी। अपीालान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 24.09.2020 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested